2014 का विधेयक संख्यांक 91

[दि रेलवेज (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

रेल (संशोधन) विधेयक, 2014

रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रेल (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 109 का संशोधन।

1989 का 24

2. रेल अधिनियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 109 के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु रेल प्रशासन को, जहां किसी यात्री की जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति होती है, दावा अधिकरण के समक्ष अन्य लोगों के साथ-साथ, यदि कोई हों, पक्षकार बनाया जाएगा ।" ।

धारा 123 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 123 में,—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "दुर्घटनावश गिर जाना" से यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं —

(i) किसी सवारी डिब्बे में, जब रेलगाड़ी गतिशील हो, प्रवेश या उससे प्रस्थान करने या प्रवेश या प्रस्थान करने का प्रयास करते समय अथवा प्लेटफार्म के साथ लगे सवारी डिब्बे की ओर से भिन्न किसी अन्यत्र स्थान से **अथवा यात्रियों के लिए सवारी डिब्बे में प्रवेश या उससे प्रस्थान करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा नियत अन्य स्थान से या** दरवाजे के निकट खड़े होने के समय या किसी सवारी डिब्बे का, जब रेलगाड़ी गतिशील है, दरवाजा खोलने के समय रेलगाड़ी से नीचे गिरने वाला कोई **यात्री;** या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 153 या धारा 154 के उपबंधों का अतिक्रमण करता है ; या

(iii) धारा 156 में निर्दिष्ट कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति;' ;

(ख) खंड (ग) के उपखंड (2) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 124ख का अंतःस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 124क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

दुर्घटनावश गिर जाने के मद्दे प्रतिकर।

" 124ख. जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में दुर्घटनावश गिर जाने की कोई घटना होती है तब चाहे रेल प्रशासन की ओर से ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हुआ हो या न हुआ हो जो ऐसे किसी यात्री को, जो उससे क्षतिग्रस्त हुआ है या उस यात्री के, जिसकी मृत्यु हो गई है, आश्रित को उसके बारे में अनुयोजन करने और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनाता है, रेल प्रशासन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दुर्घटनावश गिर जाने के परिणामस्वरूप किसी यात्री की मृत्यु, या उसको हुई क्षति के कारण हुई हानि के लिए उस सीमा तक, जो विहित की जाए, और केवल उस सीमा तक ही प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा :

परंतु रेल प्रशासन द्वारा इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा यदि किसी यात्री की—

(क) उसके द्वारा आत्महत्या या प्रयतित आत्महत्या ;

(ख) उसके द्वारा स्वयं को पहुंचाई गई क्षति ;

(ग) अपने स्वयं के आपराधिक कार्य ;

(घ) अपनी स्वयं की असावधानी या उपेक्षा,

के कारणवश मृत्यु होती है या उसको क्षति पहुंचती है :

परंतु इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी यात्री द्वारा या उसकी ओर से यह सिद्ध और साबित किया जा सकेगा कि उसने ऐसी घटना के घटित होने से बचने के लिए सभी युक्तियुक्त सतर्कता और पूर्वावधानी बरती थी;

(ङ) उसके द्वारा मत्तता या उन्मत्तता की हालत में किया गया कोई कार्य।" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस समय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 109 के उपबंधों में यह उपबंधित हैं कि किसी यात्री की जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति के वास्ते प्रतिकर के लिए दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन निम्नलिखित के विरुद्ध संस्थित किया जा सकेगा,—

(i) उस रेल प्रशासन के विरुद्ध जिससे यात्री ने अपना पास अभिप्राप्त किया या अपना टिकट क्रय किया था; या

(ii) उस रेल प्रशासन के विरुद्ध जिसकी रेल पर गंतव्य स्टेशन है; या

(iii) जहां ऐसी हानि या वैयक्तिक क्षति हुई है।

2. दावे फाइल करने के उपलब्ध विकल्पों का दुरुपयोग हो रहा है तथा एक ही हानि या क्षति के लिए भिन्न–भिन्न रेल प्रशासनों के विरुद्ध दावे फाइल किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप दावेदारों द्वारा दोहरे और मिथ्या दावे फाइल किए जा रहे हैं जिससे राजकोष को हानि हो रही है। इसको रोकने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि रेल दावा अधिकरण के समक्ष, उस रेल प्रशासन को, जिसकी अधिकारिता में हानि या क्षति हुई है, नियम स्वरूप अन्य पक्षकारों के साथ, यदि कोई हों, एक पक्षकार बनाया जाना चाहिए जिससे वह रेल प्रशासन, जिसकी अधिकारिता में हानि या क्षति हुई है, यदि ऐसी हानि या क्षति के लिए पहले से दावा फाइल किया जा चुका है तो उसकी जांच कर सके।

3. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 के खंड (ग) के उपखंड (2) के अधीन 'अनपेक्षित घटना' की परिभाषा में यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी से किसी व्यक्ति के 'दुर्घटनावश गिर जाने' के दुर्घटना संबंधी मामलों को सम्मिलित किया गया है। रेलगाड़ी से नीचे गिरने के "दुर्घटनावश गिर जाने" के अधिकांश मामले चलती रेलगाड़ी में चढ़ने और उससे उतरने के दौरान यह जानते हुए कि इससे दुर्घटना हो सकती है यात्रियों की ओर से बरती गई उपेक्षा, असावधानी और किए गए दुःसाहसिक कार्य के कारण होते हैं। तथापि, रेल प्रशासन को, प्रतिकर संदाय करने के लिए रेल प्रशासन का कोई कसूर न होने के बावजूद भी दायी ठहराया जा रहा है।

4. अतः 'दुर्घटनावश गिर जाने' के मामलों को धारा 123 में खंड (कक) के अधीन पृथक् रूप से प्रवर्गीकृत किया जाएगा जिससे कि रेल प्रशासन को अपना दायित्व, जब त्रुटि उसकी ओर से हुई है और संदाय के न किए जाने को, जब त्रुटि उसकी ओर से नहीं हुई है, सुनिश्चित करने में समर्थ बनाया जा सके।

5. प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से, एक ही दावे के लिए भिन्न–भिन्न रेल प्रशासनों को पक्षकार बना कर दोहरे दावे फाइल करने का परिवर्जन किया जा सकेगा और रेल दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं में प्रतिकर के परिनिर्धारण, जहां रेल प्रशासन की ओर से त्रुटि हुई है, शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा। तदनुसार रेल अधिनियम, 1989 का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
30 जुलाई, 2014.

डी.वी. सदानंद गौड़ा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 रेल अधिनियम, 1989 में एक नई धारा 124ख अन्तःस्थापित करने के लिए है, उक्त धारा के अधीन रेल प्रशासन, यदि दुर्घटनावश गिर जाने की घटना घटित होती है तो ऐसे यात्री को, जो क्षतिग्रस्त हुआ है या उसकी मृत्यु होने की दशा में, उसके आश्रित को प्रतिकर का संदाय करेगा किन्तु उसकी उपेक्षा, असावधानी आदि के कारण हुई दुर्घटना में कोई प्रतिकर संदत्त नहीं किया जाएगा। चूंकि प्रस्तावति संशोधन में वर्णित मामलों में पहले से ही रेल प्रशासन द्वारा प्रतिकर का संदाय किया जा रहा है अतः इसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय विविक्षाएं अन्तर्वलित नहीं हैं। इसके स्थान पर यह सुनिश्चित करके कि यात्रा कर रहे यात्री की ओर से की गई असावधानी और उपेक्षा के कारण हुई दुर्घटना में रेल विभाग प्रतिकर का संदाय करने का दायी नहीं होगा, राजकोष को होने वाली हानि से बचा जा सकता है। नई धारा 124ख के उपबंधों में अनावर्ती प्रकृति का कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं हैं।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 रेल अधिनियम, 1989 में एक नई धारा 124ख को अन्तःस्थापित करने के लिए है। उक्त धारा के अधीन, मृत्यु या क्षतियां होने की दशा में किसी व्यक्ति को संदेय प्रतिकर की सीमा, उक्त अधिनियम की धारा 129 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएगी।

2. वे विषय जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं हैं।

3. अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबन्ध

रेल अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम संख्यांक 24) से उद्धरण

* * * *

रेल प्रशासन, जिसके विरुद्ध वैयक्तिक क्षति के वास्ते प्रतिकर के लिए आवेदन फाइल किया जाना है।

109. किसी यात्री की जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति के वास्ते प्रतिकर के लिए दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन निम्नलिखित के विरुद्ध संस्थित किया जा सकेगा,—

* * * *

(ख) उस रेल प्रशासन के विरुद्ध जिसकी रेल पर गन्तव्य स्टेशन है या जहां ऐसी हानि या वैयक्तिक क्षति हुई है।

* * * *

अध्याय 13

परिभाषाएं।

दुर्घटनाओं के कारण यात्रियों की मृत्यु और क्षति के लिए रेल प्रशासन का दायित्व

123. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * *

(ग) "अनपेक्षित घटना" से अभिप्रेत है,—

* * * *

(2) यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी से किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश गिर जाना।

* * * *

GMGIPMRND—1970LS(S3)—04.08.2014.